हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय

(सूचना केन्द्र, सवाई रामसिंह रोड़, जयपुर–302004)

वेब साइटः– www.hjuj.ac.in दूरभाषः– 0141 – 2363762

ई मेल%& hjuj.jpr@gmail.com फैक्सः– 0141 – 2373762

क्रमांकः– प. (15)/हजोपवि/लेखा/2014–15/14627 दिनांकः 2/12/2014

खुली निविदा सूचना

इस विश्वविद्यालय के लिए तीन संविदा वाहन ए.सी. कार मासिक आधार पर कुल अनुमानित राशि रू. 8.00 लाख वार्षिक के लिए दिनांक 20.12.2014 तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन सांय 4 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी । निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें विश्वविद्यालय वेबसाईट www.hjuj.in पर देखी जा सकती हैं।

2/12/14

(कुसुम धारवाल)
कुलसचिव
हजोपवि, जयपुर।

क्रमांकः– प. (15)/हजोपवि/लेखा/2014–15/14627 दिनांकः 2/12/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना सहायक को प्रेषित कर निर्देश है कि निविदा सूचना को विभागीय वेबसाइट तथा उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित करें।
2. नोटिस बोर्ड
3. कैशियर

2/12/14

कुलसचिव

निविदा फार्म

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और
जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः– संविदा वाहन हेतु निविदा।
प्रंसगः– आपकी निविदा सूचना सं प.15/हजोपवि/2014–15/दिनांक ....

महोदय,

आपकी प्रासंगिक निविदा सूचना की शर्तों के अधीन संविदा वाहन मासिक आधार पर निम्नालिखित दरों पर उपलब्ध कराने हेतु सहमत हूँ।

क्रं सं.	वाहन का मेक एवं मॉडल	वाहन संख्या	1500 किमी प्र.मा. परिचालन हेतु एक मुश्त राशि (रू.)	रात्रि विश्राम की प्रति रात्रि दर
1.	ए.सी.कार टाटा इण्डिगो. मारुती डिजायर. Verito या समकक्ष	3		

निविदा एवं संविदा की हस्ताक्षरित शर्तें, अमानत राशि रू 16000/– डी.डी. संख्या———–दिनांक ————–एवं निविदा प्रपत्र राशि रू. 200/–डी.डी.——— संख्या ———–दिनांक——– पृथक पृथक संलग्न हैं।

भवदीय

निविदादाता का नाम
हस्ताक्षर मय सील

निविदा की शर्ते

1. संविदा वाहन टैक्सी परमिट के साथ परिवहन विभाग में पंजीकृत एंव बीमित होना चाहिए।
2. अनुमोदित ठेकेदार वाहन से सम्बन्धित समस्त कर, परमिट, बीमा, सेवाकर, फिटनैस, पर्यावरण नियंत्रक प्रमाण–प्रत्र, विधिक दावे, नियम/कानूनों के उल्लंघन के लिए चालान तथा वाहन एंव वाहन चालक से सम्बन्धित समस्त विधिक मामलों के लिए उत्तरदायी होगा।
3. टोल टैक्स एवं पार्किंग से सम्बन्धित व्यय यदि कोई हो तो तत्संबंधी रसीद प्रस्तुत किये जाने पर विष्वविद्यालय द्वारा पुनर्भरण किये जायेंगे।
4. वाहन चालक स्वच्छ वर्दी में हो, वाहन के उपयोगकर्ता अधिकारियों के साथ उचित व्यवहार करे एवं वाहन की भी स्वच्छ रखें।
5. वाहन के सामान्यतः उपयोग का समय प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक या उपयोगकर्ता अधिकारी की अपेक्षा के अनुसार होगा।
6. ठेकेदार द्वारा उद्दृत दरें एक वर्ष के लिए वैध होंगी। निविदादाता एवं निविदत्त के मध्य आपसी सहमति से इसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।
7. दूरी एवं समय का आकलन कर्तव्य बिन्दु से होगा।
8. किराये का संविदाधीन वाहन सम्पूर्ण राज्य में उपयोग किया जा सकता है। राज्य के बाहर दौरे किये जाने की स्थिति में वाहन का उपयोग राज्य के बाहर किया जा सकेगा तथा तत्संबंधी अतिरिक्त व्यय पुनर्भरण योग्य होगा।मुख्यालय (जयपुर) से भिन्न किसी भी स्थान पर रात्रि विश्राम के लिए वाहन चालक को प्रति रात्रि भुगतान किया जायेगा जिसकी दरें पृथक से दर्शायी जावें।
9. अधिकतम 1500 किमी प्रतिमाह परिचालन सीमा तक प्रति वाहन की एक मुश्त दर निविदादाता द्वारा उद्दृत करनी चाहिए इससे भिन्न किसी भी तरह की दरें विचारणीय नहीं होंगी। प्रतिमाह 1500 किमी से अधिक की यात्रा होने पर प्रति कि.मी. अतिरिक्त दर दी जावेगी।
10. अनुमोदित ठेकेदार द्वारा वाहन समय पर उपलब्ध न कराने पर प्रतिदिन प्रतिवाहन (रू) 500 शास्ति वसूल की जायेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा अन्य वाहन किराये पर लिया जा सकता है। अतिरिक्त व्ययभार यदि कोई हो तो ठेकेदार से वसूल किया जायेगा।
11. यदि वाहन मार्ग में ब्रेकडाउन हो जाता है तो ठेकेदार को अपनी लागत पर यथासमय दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
12. यात्रा के दौरान वाहन चालक को वाहन के मूल दस्तावेज यथा पंजीकरण प्रमाण–पत्र, फिटनैस, परमिट ऑफ ज्यूरिडिक्शन, तथा अन्य सम्बन्धित पत्रादि साथ रखने होंगे।
13. भुगतान :– अनुमोदित ठेकेदार द्वारा बिल दो प्रतियों में प्रभारी अधिकारी से यथा प्रमाणित लॉग सीट के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
14. दायित्वः दुर्घटना दावों सहित सभी प्रकार के दायित्व यदि कोई हो अनुमोदित ठेकेदार द्वारा वहन किये जायेंगे।

15. वाहन प्रभारी अधिकारी के आदेशानुसार चलेगा। विश्वविद्यालय को वाहन उसकी मांग के अनुसार उपलब्ध होगा और वाहन ठेकेदार की जोखिम पर किन्तु, निश्चित रूप से विभाग के परिसर में ही खड़ा होगा।

16. वाहन चालक को कर्तव्य पर बुलाये जाने के समय से वाहन कर्तव्य पर माना जायेगा। इसलिए जब वाहन चालक को विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा वाहन की मांग के अनुरूप यथा संभव सही समय दिया जाना चाहिए। लॉग सीट भरने के लिए उपस्थिति बिन्दु (कार्यालय) को शून्य बिन्दु माना जायेगा। उपस्थिति बिन्दु (कार्यालय) तक की यात्रा कार्यालय की यात्रा नहीं मानी जायेगी और यह ठेकेदार के खर्चे पर की जायेगी। इस तरह लॉग सीट के उद्देष्य से वाहन मुक्त करने के बिन्दु (कार्यालय) को अन्तिम पठन माना जायेगा।

17. ठेकेदार द्वारा प्रविष्टि के लिए लॉग सीट प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। लॉग सीट में निम्नलिखित स्तम्भ होने चाहिए–

1. Vehical No. 2. Date 3. Duty starts time 4. Reporting Place 5. Opening KMs reading 6. Details of journey undertaken 7. Closing KM reading. 8. Total KMs travelled (Figure & world) 9. Closing time

10. Vehical required next	11. Signature of OIC
Place	Name
Date	Date
Time	

18. ठेकेदार के वाहन चालक द्वारा लॉग सीट प्रस्तुत की जानी चाहिए और दो प्रतियों में भरी जानी चाहिए। वाहन मुक्त करते समय एक प्रति ठेकेदार के वाहन चालक को दी जायेगी, द्वितीय प्रति सम्बन्धित वितरण कार्यालय को यथासंभव शीघ्र दी जानी चाहिए।

19. वितरण अधिकारी को दी गई द्वितीय प्रति के आधार पर ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।

20. ठेकेदार को वाहन पर एक प्लेट यह उदृत करते हुए, कि वाहन राजकीय कर्तव्य पर है, उपलब्ध करानी होगी। प्लेट ऐसी होगी कि इसके फ्रेम से खींचकर हटाया जा सकें। वाहन के कर्तव्य से मुक्त होते समय यह प्लेट हटाकर प्रभारी अधिकारी के संरक्षण में रखी जानी चाहिए।

21. अमानत राशि रू. 16000/– एवं निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 200/– जमा करानी होगी। कार्यादेश के बाद प्रतिभूति राशि 5 प्रतिशत जमा करनी होगी जिसके अन्तर्गत अमानत राशि समायोजन योग्य होगी।

22. वाहन पांच वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

23. रात्रि विश्राम की दरें पृथक् से प्रस्तुत की जावें।

24. दो वाहन कार्यादेश जारी होते ही उपलब्ध कराने होंगे तथा एक वाहन की आवश्यकतानुार मांग की जावेगी ।

निविदादाता का नाम
हस्ताक्षर मय सील